Embargoed till 7.00 pm, 14.08.2009

Check against delivery

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

तिरसठवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील का राष्ट्र के नाम संदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2009

मेरे प्यारे देशवासियो,

कल हमारा तिरसठवां स्वतंत्रता दिवस है। इसकी पूर्व संध्या पर मैं देश-विदेश में रह रहे आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूं। मैं, हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे सशस्त्र सेनाओं और अर्ध सैनिक बलों के वीर जवानों का भी विशेष आभार व्यक्त करती हूं। मैं, आंतरिक सुरक्षा बलों सहित केंद्र और राज्यों के पुलिस बलों को भी बधाई देती हूं।

हमें स्वतंत्रता एक लम्बे और कठिन संघर्ष के बाद मिली। असंख्य महिला और पुरुष औपनिवेशिक दासता से मुक्त होने की आकांक्षा से स्वतंत्रता सेनानी बने। महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व ने उन्हें प्रोत्साहित किया तथा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन में उन्होंने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने खुशी-खुशी भीषण विपत्तियों का सामना किया क्योंकि वे केवल यही चाहते थे कि देश आजाद हो और देशवासी स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनें। इसी निःस्वार्थ भावना और बलिदान से ही हमें स्वतंत्रता मिली। मैं अपने देशवासियों का आह्वान करती हूं कि आइए, हम अपने महान् नेताओं, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और उन सभी के प्रति श्रद्धा और गहरा सम्मान व्यक्त करें जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और हमें एक संप्रभु राष्ट्र सौंपा।

स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब भारत के नेताओं और देशवासियों को ही संकल्पनाओं, सिद्धांतों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना था। बापूजी ने 15 अगस्त, 1947 को तत्परता से हमें इसकी याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था, 'आज से ही आपको कठिनाइयों के दौर से गुजरना होगा। सत्य और अहिंसा की भावना के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। विनम्र बनें। सहनशील बनें... अब आपकी बार-बार परीक्षा होती रहेगी।' इसी दिन ठीक

मध्य रात्रि में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 'नियति से भेंट' के अपने प्रभावशाली भाषण में भारत की संकल्पना का उद्घोष किया। उन्होंने कहा था कि हमें 'स्वतंत्र भारत की एक सुदृढ़ इमारत बनानी होगी जहां उसके सभी बच्चे रहेंगे।'

इस तरह हमने अपनी यात्रा प्रारम्भ की। भारत को एक सुदृढ़ आधार देने के लिए जो चार स्तम्भ जरूरी रहे हैं और रहेंगे, वे हैं—लोकतंत्र, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तीकरण और हमारी सभ्यतागत धरोहर पर आधारित मूल्य। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्त्व है और एक स्थिर और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए ये समान रूप से मजबूत होने चाहिए।

इस वर्ष 15वें आम चुनाव सम्पन्न हुए। पांच चरणों में हुए इन चुनावों में देश के दूर-दराज क्षेत्रों के प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, जहां केवल एक मतदाता था, वहां भी उस एक मतदान के लिए प्रबंध किए गए। प्रत्येक नागरिक के मत का महत्त्व है और सबको साथ लेकर चलना लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। जनादेश के अनुसार, नई सरकार ने अपना कार्यभार संभाला। चुनावी प्रक्रिया ने लोकतंत्र के प्रति पूरे देश के लोगों के दृढ़ विश्वास की पुष्टि की। इसने एक बार फिर यह साबित कर दिखाया कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वास्तव में एक परिपक्व लोकतंत्र है। हम गौरवान्वित हो सकते हैं कि हम लोकतंत्र की मशाल को इस तरह आगे ले जा रहे हैं कि आज लोकतंत्र की अवधारणा और भारत अभिन्न बन गए हैं।

यदि हम प्रत्येक नागरिक को संसद और विधान सभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान कर सकते हैं तो यह सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य बनता है कि चुनावों के बीच की अवधि में भी उनकी बात सुनी जाए। प्रत्येक संसद सदस्य औसतन 13 लाख से भी अधिक मतदाता वाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह संख्या कुछ राष्ट्रों की आबादी से भी ज्यादा है। इससे उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वे उन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें

जिन्होंने उन्हें चुना है। उनका यह पूरा दायित्व है कि वे लोगों के कल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करें।

साथ ही लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि वे अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और बेहतर अवसर चाहते हैं। लोग चाहे वे गांवों में हों या शहरों में, उन्हें निर्धारित सुविधाएं और सहूलियतें सुचारु रूप से तभी मिल पाएंगी यदि शासन व्यवस्था प्रभावी हो, जटिल न हो और जो अधिक पारदर्शी व जवाबदेह हो। जब कल्याणकारी योजनाओं के लिए रखा गया धन भ्रष्टाचार द्वारा ले लिया जाता है तो इससे आक्रोश होता है। सरकार की स्वास्थ्य से लेकर बुनियादी शिक्षा, रोजगार से लेकर सामाजिक-आर्थिक ढांचे के विस्तार तक व्यापक और महत्त्वपूर्ण योजनाएं हैं। लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए उनका उचित स्तर तक कार्यान्वयन करना होगा। इसलिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने और जन-सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए शासन को सुधारने पर बल देना जरूरी है। प्रशासकों को लोगों की आवश्यकताओं के प्रति सचेत होना चाहिए। उनका कार्य एक जन-सेवा है तथा निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी उनके कार्य की पहचान होनी चाहिए।

इस वर्ष मानसून भी सामान्य से कम रहा। इससे कृषि और जल की उपलब्धता प्रभावित हुई है। हमें इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। सरकार इससे निपटने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। सरकार एच। एन। इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने के लिए भी आवश्यक प्रयास कर रही है। इन क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों एवं विकास प्रक्रिया में सहयोग के लिए नागरिकों को आगे आकर योगदान देना चाहिए। यह कार्य सार्वजनिक-निजी साझेदारी, गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह या स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जा सकता है। जो नागरिक अपने कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहता है, अनुशासन बनाए रखता है, स्वच्छता और साफ-सफाई जैसी अच्छी आदतों को अपनाता है, प्राकृतिक सम्पदा के प्रति सम्मान रखता है और पर्यावरण के सरोकारों के प्रति संवेदनशील है, वह किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होता है।

प्यारे देशवासियो,

हमारी निरंतर लोकतांत्रिक विश्वसनीयता और सतत आर्थिक प्रगति, जो हमारे कठिन परिश्रम से प्राप्त हुई है, इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। विश्व मंदी के प्रभावों से निपटने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना तो होगा ही, साथ ही अपने विकास की उच्च गति को भी बनाए रखने का प्रयास करना होगा। हमारा घरेलू बाजार विशाल है और हमारे पास अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की शक्ति है। हम जिन क्षेत्रों में क्षमता साबित कर चुके हैं, उन पर तथा देशभर में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ विकास के नए क्षेत्रों का विस्तार करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए।

हमें भावी विश्व के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी रूपरेखा नव-प्रवर्तनों, तकनीकी और उद्यम भावना से तैयार होगी। भारत ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम विश्वासपूर्वक भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें इसमें कोई शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। विकास में जब तकनीकी का प्रयोग किया गया तो इससे भारत में विशाल बदलाव आए हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए हमारी अकादमिक संस्थाओं और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा। इस दिशा में हमारे प्रयासों के पीछे उत्कृष्टता प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए। भारत अनुसंधान और विकास के उच्च मानदण्ड स्थापित कर सकता है ताकि एक प्रबुद्ध समाज में ये मानदण्ड अंतरराष्ट्रीय बन जाएं। विश्व भारत से दुनिया की एक विशाल अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद करता है। हम जानते हैं कि हम यह स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत एक धनी राष्ट्र था और अपनी समृद्धि और वैश्विक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अनवरत सभ्यता वाले भारत का उद्देश्य भौतिक प्रगति के अलावा, मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए सांस्कृतिक उन्नति, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की निरंतर खोज और सबसे बढ़कर, सामाजिक न्याय है।

विकास की हमारी गाथा में सभी के लिए अवसर और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिक सशक्तीकरण के लिए अथक कार्य करना होगा और

राष्ट्रीय चेतना में इसका मुख्य स्थान होना चाहिए। समाज में ऐसे कमजोर और गरीब लोग हैं जिनकी समृद्धि और विकास प्रक्रिया में पूरी भागीदारी नहीं है और वे उपेक्षित रहते हैं। समाज के इन वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की जरूरत है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल निर्माण–सशक्तीकरण के साधन सुलभ करवाए जाने चाहिए। इनसे वे योग्य और सक्षम बनेंगे और उनमें भावी अवसरों के प्रति विश्वास पैदा होगा। इससे वे अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकेंगे। ऐसा हासिल करना संभव है। बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज वे बालिकाएं कॉलेज जा रही हैं जिनके अभिभावक कभी स्कूल नहीं गए थे। यह विकास की ऐसी घटना है जो एक पीढ़ी के दौरान घटी है। लोग अब शिक्षित होने के फायदे समझने लगे हैं और अब वे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बिल का पारित होना सभी के लिए शिक्षा के हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाला एक ऐतिहासिक विधान है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन से महिलाएं जो हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी और वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को समान अवसर देना भारत गणराज्य की निष्ठा का सिद्धांत है और एक समावेशी समाज का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है।

मुझे विश्वास है कि हमारा राष्ट्र एक आदर्श लोकतंत्र, आर्थिक शक्ति और एक प्रगतिशील समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हम किन मूल्यों पर अपने कार्यों की परख करेंगे? विश्व में अहम बदलाव आएंगे। इन बदलावों से निपटने के लिए हमारे पास स्थिरता के साधन क्या होंगे? ऐसी स्थिति में अगर हम अपने मूल्यों पर नहीं चलेंगे तो हम राह से भटक जाएंगे। इसलिए राष्ट्र निर्माण के प्रयास में इन मूल्यों का महत्त्व है। हमारा राष्ट्र भाग्यशाली है कि हमें विरासत में ऐसे मूल्य हासिल हुए हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। सौहार्द और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हमारी सभ्यता के मूल अंग हैं। ये उन संदशों की तरह हैं जो सभी काल और युगों में प्रासंगिक रहे हैं। ये कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। इसलिए, प्रगति के दौरान हमें इन्हीं मूल्यों से वैसी ही ताकत मिलेगी जिस प्रकार हमारे समूचे इतिहास के दौरान मिलती रही है। भारत को शांति और

सद्भावना की संस्कृति के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। श्रेष्ठ परम्परा और प्रगति में सामंजस्य होना चाहिए।

भारत ने सदियों से यहां आने वाले बहुत से समूहों द्वारा लाए गए बदलावों को आत्मसात करने की उल्लेखनीय क्षमता दर्शाई है। इससे हमारा समाज ऐसा मिलाजुला बन गया है जिसमें विविध वर्ग हैं लेकिन उनमें एकता है। यह एकता उस सौहार्दपूर्ण विचारधारा से पैदा हुई है जिसके लिए मानव के प्रति संवेदनशील नजरिया और दायित्व भावना की जरूरत है। यह मतभेदों को बढ़ाने की बजाय उन्हें सुलझाती है। यह लोगों को अलग करने की बजाय उन्हें एकता-सूत्र में पिरोती है। यह बदलावों को खतरा नहीं बल्कि गतिमान समय की वास्तविकता के रूप में देखती है। हमारी संस्कृति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत रचा-बसा है। आतंकवाद जो मासूम लोगों को निशाना बनाता है, वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विपरीत है। यह निंदनीय है क्योंकि यह सभी धर्मों और आस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है। शांतिपूर्ण समाज और विश्व के निर्माण के लिए इसे मिटा देना चाहिए। यही मानव जाति के हित के सामूहिक लक्ष्य के लिए जरूरी है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण मानव जाति की नियति एक है।

प्यारे देशवासियो,

हमने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संघर्ष किया है। हम खासतौर से फूट डालो ओर राज करो की नीति से पैदा हुई प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़े। इस नीति का मकसद हमारी एकता को तोड़ना था। हमारा स्वतंत्रता संग्राम महान सिद्धांतों पर आधारित था, इसलिए हमने विजय प्राप्त की। हमने पंथ निरपेक्षता, समानता का पालन किया है और सभी धर्मों का सम्मान किया है। मैं प्रत्येक धर्म– हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और दूसरे सभी धर्मों के अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहूंगी कि वे मिलकर रहें। मुझे, इस संबंध में मशहूर पंक्तियां याद आ रही हैं–

मज़हब नहीं सिखाता,
आपस में बैर रखना।

तरक्की करने के लिए साम्प्रदायिक सद्भाव का धागा सबके मन में रहना जरूरी है। जैसे वह धागा, विभिन्न रंग और सुगंध वाले सुंदर फूल की माला को पिरोए रखता है। आओ, हम साबित करें कि हम सब इन्सान एकजुट हैं, बंटे हुए नहीं। आओ हिंसा और उग्रवाद के खिलाफ लड़ें और शांति व सौहार्द का एक अहम हिस्सा बनें। अगर हम नफरत, अविश्वास और संवेदनहीनता की भावनाओं में फंस जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए, अपने और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भारत को सुदृढ़, संगठित और प्रगतिशील बनाएं तथा शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करें।

अंत में, मैं इन शब्दों में दिए गए संदेश का उल्लेख करना चाहूंगी :

आपके संकल्प एक जैसे हों,
आपके हृदय एक हों,
आपके विचार संगठित हों,
ताकि सभी सौहार्दपूर्ण ढंग से एक रह सकें।

मैं, एक बार फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूं।

जय हिन्द।

Embargoed till 7.00 pm, 14.8.2009